न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3179–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 677/2011–12/अपील.

राधारानी पत्नी मोतीलाल चौरसिया
निवासी ग्राम बिलौआ
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर ....आवेदिका

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर ....अनावेदक

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 24 जून, 2014)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 10–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार वृत बिलौआ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा पटवारी के साथ आवेदिका राधारानी बेवा मोतीलाल के भूमिस्वामी

स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 3717/3 रकबबा 2.717 हेक्टेयर में से बिना स्वीकृति के काले पत्थर खनिज कर अवैध उत्खनन एव परिवहन की जांच की गई, जिसमें निम्नलिखित तथ्य सामने आये :–

(1) सर्वे क्रमांक 3717 का कुल रकबा 69.387 हेक्टेयर है, जिसमें विजयसिंह गुर्जर आदि के नाम रकबा 2.090 हेक्टेयर भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है तथा इसी सर्वे क्रमांक में आवेदिका राधारानी चौरसिया का रकबा 2.717 हेक्टेयर पर भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज है तथा शेष रकबा 64.580 हेक्टेयर शासकीय पहाड़ दर्ज है ।

(2) सर्वे क्रमांक 3717/3 रकबा 2.717 हेक्टेयर भूमि पर राधारानी चौरसिया का बटांकन जिस स्थान पर है, उसी स्थान पर कु0 हेमा द्विवेदी पुत्री रामप्रकाश द्विवेदी को खनिज विभाग, ग्वालियर द्वारा 2.000 हेक्टेयर भूमि की लीज प्रदान कर कब्जा दिया गया है ।

(3) कु0 हेमा द्विवेदी की लीज दिनांक 3–5–2003 से 2–5–2013 तक अनुबंधित है । कु0 हेमा द्विवेदी को रायल्टी बुक क्रमांक 112652 ट्रेक्टर 100 पृष्ठ जारी होकर दिनांक 15–9–2010 को टी.पी. बुक पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(4) दिनांक 11–9–2009 को प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 3717 से आवेदिका को बेदखल कर कु0 हेमा द्विवेदी को कब्जा प्रदान किया गया है तथा कब्जा रसीद के कॉलम नं. 4 में यह वर्णन है कि उपरोक्त दिनांक तक अनुबंधित क्षेत्र में उत्खनन से कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई है ।

मेरे द्वारा दिनांक 9–12–2011 को स्थल पर काले पत्थर के उत्खनन का निरीक्षण सभी उपस्थित मजदूरों के समक्ष किया गया, उस समय सर्वे क्रमांक 3717/3 रकबा 2.717 हेक्टेयर में तीन ट्रेक्टर तथा कुछ मजदूर अवैध उत्खनन का कार्य कर रहे थे, जो हम लोगों को देखकर भाग गये तथा उसी समय राजा पुत्रा प्रीतमसिंह गुर्जर निवासी ग्राम रफादपुर मोटरराईकिल से आया और बोला कि यहां मेरे ट्रेक्टर एवं मजदूर कार्य कर रहे हैं, आप इनको क्यों परेशान कर रहें है, जब उनसे लीज के बारे में जानकारी चाही गई तो बताया कि कु0 हेमा द्विवेदी के सहयोग से उत्खनन कार्य कर रहें हैं, जब उनसे अनुबंध संबंधी कागज मांगे गये तो उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये । उपरोक्त खदान से राजा पुत्र प्रीतमसिंह गुर्जर द्वारा लम्बाई 300 फिट चौड़ाई 100 फिट तथा ऊंचाई

50 फिट का अवैध उत्खनन किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 42498.50 घनमीटर है, जिसकी बाजारू कीमत 35 रूपये प्रति घनमीटर के हिसाब से 14,87,447.45 रूपये होती है, जिसकी दोगुनी राशि 29,74,894.90 रूपये होगी । इसी खदान के दूसरे भाग में वीरेन्द्र पुत्र राधारानी चौरसिया द्वारा लम्बाई 100 फिट चौड़ाई 70 फिट तथा ऊंचाई 40 फिट का अवैध उत्खनन किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7,928.90 घनमीटर है, जिसकी बाजारू कीमत 2,77,511.59 रूपये होता है, जिसकी दोगुनी राशि 5,55,023.18 रूपये होगी । मौके पर पंचनामा बनाया गया एवं कथन लिये गये । अनुबंधित क्षेत्र के 2 कि0मी0 के दायरे में अवैध उत्खनन होता है तो लीजधारी द्वारा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, किन्तु कु0 हेमा द्विवेदी द्वारा कभी भी कोई सूचना नहीं दी गई है । उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर को प्राप्त होने पर अनुभिागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 / 2010–11 / अ–67 दर्ज किया जाकर दिनांक 9–5–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि में से 41,727.19 घनमीटर काले पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन आवेदिका राधारानी चौरसिया द्वारा किया जाना मानते हुए अवैध उत्खनित की कीमत 14,60,451 रूपये की दोगुनी राशि 29,20,309 रूपये का अर्थदण्ड आवेदिका पर अधिरोपित किया गया, साथ ही कु0 हेमा द्विवेदी द्वारा लीज वाली भूमि पर कब्जा प्राप्त न कर लीज की शर्तों का उल्लंघन पाते हुए लीज समाप्त किए जाने हेतु आदेश की प्रति कलेक्टर, ग्वालियर को भेजे जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–6–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–7–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) संहिता की धारा 247 (7) के अनुसार देखना आवश्यक है कि उत्खनन किसके द्वारा किया गया है । अभिलेख पर आई साक्ष्य में नायब तहसीलदार, बिलौआ के प्रतिवेदन को देखने से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि जॉचकर्ता नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन में आवेदिका राधा रानी चौरसिया द्वारा स्वयं मौके पर आकर अवैध उत्खनन किए जाने या कराये जाने या अवैध उत्खनन को हटाये जाने का कोई उल्लेख नही है ।

(2) अभिलेख पर जांचकर्ता अधिकारी नायब तहसीलदार के कथन एवं अन्य साक्षी के कथन हुए हैं, उन कथनों में आवेदिका राधा रानी चौरसिया के द्वारा अवैध उत्खनन होना नहीं बताया है । नायब तहसीलदार ने राजा गुर्जर से हुए पूछताछ के आधार पर अपने कथन में कहा कि जॉच मैने राधा रानी चौरसिया की शिकायत से की थी तथा उनके द्वारा अपने कथन में यह भी स्वीकार किया गया है कि साक्षीगण को उत्खनन क्षेत्र की घटना स्थल पर में लेकर गया था । यह पूछे जाने पर नायब तहसीलदार का जवाब इस प्रकार आया है कि घटना गलत है । मैं साक्षीगणों को उत्खनन क्षेत्र की घटना स्थल पर लेकर नहीं गया था । इसका आशय यही है कि जांच कर्ता साक्षीगणों को अपने साथ लेकर गये थे । अपने कथन में यह भी कहा है कि यह सही है कि उक्त उत्खनन मैंने मौके पर होते हुए नहीं देखा था, स्वतः कहा कि ऊपर दर्शाये मजदूरों के अनुसार उत्खनन करना माना गया है । इससे स्पष्ट है कि आवेदिका ने उत्खनन कार्य नहीं किया है, मात्र अनुमान के आधार पर आवेदिका द्वारा अवैध उत्खनन करने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठोस साक्ष्य द्वारा उत्खनन साबित करना होता है ।

(3) आवेदिका या उसके प्रतिनिधि द्वारा अवैध उत्खनन किया गया या हटाया गया, उसे सिद्ध करने का भार अनावेदक शासन पर था । अनावेदक शासन ने अपनी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से आवेदिका द्वारा उत्खनन किया जाना सिद्ध नहीं किया है । राजस्व निरीक्षक बिलौआ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27–12–2010 तथा संलग्न पंचनामा के अवलोकन से या देखने से भी स्पष्ट था कि उक्त प्रतिवेदन में आवेदिका द्वारा उत्खनन करने का उल्लेख नहीं है, खोदने वालों के नाम नहीं है, उत्खनित पत्थर का कोई जब्ती पंचनामा नहीं है, ट्रेक्टर ट्रॉली का कोई पंचनामा नहीं है, गिट्टी पत्थर बरामदगी का भी

उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । यहां तक कि आवेदिका को दिये गये सूचना पत्र में भी उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं है ।

(4) अवैध उत्खनन के संबंध में नायब तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन में आवेदिका राधा रानी या वीरेंद्र चौरसिया द्वारा अवैध उत्खनन करना नहीं बताया है, न ही नायब तहसीलदार ने अपने कथनों में आवेदिका द्वारा या उसकी ओर से अवैध उत्खनन करने बावत् बताया है । अवैध उत्खनन को सिद्ध करने का भार राज्य शासन पर है, जिसे राज्य शासन ने कतई सिद्ध नहीं किया है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को मात्र भूमिस्वामी होने के आधार पर अवैध उत्खनन का दोषी माना है, जबकि साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 1737/3 का आवेदिका एवं हेमा द्विवेदी से विवाद है, जिस भूमि सर्वे कमांक 1737/3 की भूमिस्वामी है, इसी भूमि का पट्टा हेमा द्विवेदी को भी जारी किया गया है । उक्त विवादित भूमि पर हेमा द्विवेदी को कब्जा भी दिलाया गया है ।

(6) पंचनामा दिनांक 18–8–2009 के अनुसार हेमा द्विवेदी को कब्जा दिया गया है । कब्जा हेमा द्विवेदी की ओर से अरूण दुबे व कुलदीप चौधरी ने प्राप्त किया है, जिसमें यह उल्लेख है कि लीज धारी को सीमाओं का ज्ञान कराया गया । प्रकरण में पट्टेदार को 11–9–2009 को स्वीकृत क्षेत्र का कब्जा दिया जा चुका है ।

(7) विवादित भूमि के संबंध में हेमा द्विवेदी ने मध्य प्रदेश शासन के विरूद्ध एक रिट याचिका कमांक 272/11 WP प्रस्तुत की थी । उक्त याचिका के पद कमांक 5 (1) में हेमा द्विवेदी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है । इस प्रकार से विवादित भूमि पर हेमा द्विवेदी का कब्जा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित था तथा मौखिक कथन में भी हेमा द्विवेदी का कब्जा प्रमाणित था, फिर भी आवेदिका का कब्जा मानकर कब्जे के बावत् निष्कर्ष निकालने में कानूनी भूल की है ।

(8) हेमा द्विवेदी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी । हेमा द्विवेदी को विवादित सर्वे नम्बर 3717/3 का उत्खनन पट्टा वर्ष 2003 से 2013 तक गिट्टी पत्थर के उत्खनन हेतु प्रदान किया गया था । पट्टे के आधार पर ही हेमा द्विवेदी को खनिज विभाग की ओर से

राधारानी चौरसिया की भूमि सर्वे कमांक 3717 / 3 रकबा 2.717 हेक्टेयर है । इसी सर्वे नम्बबर में कु0 हेमा द्विवेदी को 2.000 हेक्टेयर भूमि उत्खनन हेतु 10 वर्ष के लिए दिनांक 3–5–2003 से 2–5–2003 तक लीज पर दी गई है । आवेदिका की भूमि का बटांकन जिस स्थान पर हुआ है, उसी स्थान पर कु0 हेमा द्विवेदी पुत्री रामप्रकाश द्विवेदी को खनिज विभाग, ग्वालियर द्वारा लीज प्रदान कर कब्जा दिया गया है, और कु0 हेमा द्विवेदी को रायल्टी बुक कमांक 112652 ट्रेक्टर 100 पृष्ठ जारी होकर दिनांक 15–9–2010 को उसके द्वारा टी.पी. बुक पर हस्ताक्षर किये गये हैं । खनिज विभाग द्वारा दिनांक 11–9–2009 को आवेदिका को बेदखल कर कु0 हेमा द्विवेदी को कब्जा प्रदान किया गया है तथा कब्जा रसीद के कॉलम नं. 4 में यह दर्णित है कि उपरोक्त दिनांक तक अनुबंधित क्षेत्र में उत्खनन से कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त स्वयं कु0 हेमा द्विवेदी द्वारा कब्जा प्राप्त होना स्वीकार किया गया है । उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवेदिका अपनी भूमि पर काबिज थी, और कु0 हेमा द्विवेदी लीज पर प्रदत्त भूमि पर काबिज थी तथा दिनांक 11–9–2009 तक अवैध उत्खनन नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है कि कु0 हेमा द्विवेदी को लीज पर दी गई भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा नहीं था, सम्पूर्ण उत्खनन आवेदिका द्वारा किया गया है, जबकि वास्तव में आवेदिका एवं कु0 हेमा द्विवेदी दोनों के द्वारा ही अवैध उत्खनन किए जाने का निष्कर्ष निकलता है । वैसे भी दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध निष्कर्ष निकालना उचित नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में किया गया है। इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाए गए आधार मान्य किए जाने योग्य हैं । न्यायिक दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी को अवैध उत्खनित 41,727.19 घनमीटर काले पत्थर के लिए आवेदिका एवं कु0 हेमा द्विवेदी को उत्तरदायी मानते हुए अवैध उत्खनित काले पत्थर की कीमत 14,60,451 रूपये की दोगुना शास्ति 29,20,309 रूपये अर्थदण्ड समान भाग में दोनों पर अधिरोपित करना था । उक्त कार्यवाही नहीं करने से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का यह अंश कि 29,20,309 रूपये का अर्थदण्ड आवेदिका के ऊपर अधिरोपित करते हुए शासन हित में जमा कराने का आदेश दिया जाता है, न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण निरस्ती

योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस संशोधन के साथ स्थिर रखा जाये कि 29,20,309 रूपये का अर्थदण्ड आवेदिका एवं कु0 हेमा द्विवेदी दोनों पर समान–समान भाग अधिरोपित किये जाकर शासन हित में जमा कराने के आदेश दिये जायें । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–7–2013, अपर कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2012 निरस्त किए जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर का आदेश दिनांक 9–5–2012 इस संशोधन के साथ स्थिर रखा जाता है कि 29,20,309 रूपये का अर्थदण्ड आवेदिका एवं कु0 हेमा द्विवेदी पर समान–समान भाग अर्थात 14,60,155 रूपये प्रत्येक पर अधिरोपित करते हुए शासन हित में जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं । निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर